

**संख्या-12/2026/223/005-9-7099-287-2025**

प्रेषक,

**संजय कुमार तिवारी,**

अनु सचिव,

उ.प्र. शासन।

सेवा में,

**जिलाधिकारी,**

आगरा, शाहजहाँपुर, बौदा, पीलीभीत,

बुलन्दशहर, गाजियाबाद, हरदोई, देवरिया।

**नगर विकास अनुभाग-7****लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2026****विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त के विषयगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में "शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना" के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि में से नगर निगम, आगरा जनपद-आगरा, नगर पंचायत, कटरा जनपद-शाहजहाँपुर, नगर पंचायत, नरैनी जनपद-बौदा, नगर पंचायत, मटौध जनपद-बौदा, नगर पंचायत, जहानाबाद जनपद-पीलीभीत, नगर पंचायत, ककोड़ जनपद-बुलन्दशहर, नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद-गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद, हरदोई जनपद-हरदाई, नगर पंचायत, मदनपुर जनपद-देवरिया, नगर पंचायत, हेतिमपुर जनपद-देवरिया में स्थित अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण/विकास हेतु प्रस्तावित कार्य की कुल ₹967.90 लाख (₹ नौ करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष कुल धनराशि ₹967.90 लाख (₹ नौ करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/ शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	कार्य	प्राप्त आगणन में लागत	यथा प्रस्तावित/ मानकीकरण के पश्चात अनुमन्य धनराशि लागत	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1.	आगरा	नगर निगम, आगरा	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	440.75	401.00	401.00

2.	शाहजहाँपुर	नगर पंचायत, कटरा	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	28.77	28.77	28.77
3.	बाँदा	नगर पंचायत, नरैनी	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	29.54	28.79	28.79
4.	बाँदा	नगर पंचायत, मतौध	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	29.83	28.79	28.79
5.	पीलीभीत	नगर पंचायत, जहानाबाद	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	56.77	28.79	28.79
6.	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, ककोड़	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	29.16	28.79	28.79
7.	गाजियाबाद	नगर पालिका परिषद, लोनी	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	42.39	42.39	42.39
8.	हरदोई	नगर पालिका परिषद, हरदोई	विद्युत शवदाहगृह निर्माण कार्य।	324.40	323.00	323.00
9.	देवरिया	नगर पंचायत, मदनपुर	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	29.14	28.79	28.79
10.	देवरिया	नगर पंचायत, हेतिमपुर	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	30.23	28.79	28.79
कुल योग				1040.98	967.90	967.90

(₹ नौ करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार मात्र)

**नियम व शर्तें/ प्रतिबन्ध-**

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खातों में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य/बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-5251/नौ-5-2014-329सा0/2014, दिनांक 09.09.2014 एवं संबंधित शासनादेश दिनांक 05.01.2015, दिनांक 12.06.2015 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में शासनादेश संख्या-2333(1)/नौ-7-18-35(ज)/2018, दिनांक 21.01.2019 द्वारा निर्धारित माडल आगणन के अनुसार कार्य पर व्यय की जायेगी। नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु क्रमशः ₹42.62 लाख व ₹28.79 लाख की प्रारम्भिक आगणन/माडल को माडल

मानक के रूप में निर्धारित किया गया है, जो कि नगर विकास विभाग की वेब-साइट [urbandevelopment.up.nic.in](http://urbandevelopment.up.nic.in) पर उपलब्ध है।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय 12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(4) जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराया जाये। कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूमि निर्विवादित है। कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए उसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(5) सामग्री/सम्पूर्ति का क्रय वित्त विभाग के क्रयादेशों के अनुसार किया जाये। यथावश्यक सामग्री की पूर्ति टेण्डर/रेट कॉन्ट्रैक्ट/डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर ही किया जाय। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(6) नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) पी0डब्ल्यू0डी0/ आर0ई0एस0 के सक्षम स्तर के अभियन्ता से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। कार्य की मदों में परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(9) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) निकाय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(13) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यो के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज को दिनांक 31.03.2026 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(14) प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्प्रीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किए जाय।

(15) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,67,90,000 ( रुपये नौ करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2235608000300 शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,  
Digitally signed by  
SANJAY KUMAR TIWARI  
Date: 27-03-2026  
13:40:07  
(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

**संख्या-12/2026/223(1) /005-9-7099-287-2025, तद दिनांक।**

**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, आगरा, शाहजहाँपुर, बाँदा, पीलीभीत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, हरदोई, देवरिया।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
5. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
6. संबंधित अध्यक्ष, नगर निकाय, उ०प्र०।
7. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ०प्र०।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

ह०  
संजय कुमार तिवारी  
अनु सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-27/03/2026


प्रेषण संख्या:- 12  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-12-2026-223-005-9-7099-287-2025  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
800 - अन्य व्यय  
03 - शहरी क्षेत्रों में अल्पेष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	बुलन्दशहर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2879000 26881500	2879000 26881500
2	आगरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40100000 52999000	40100000 52999000
3	शाहजहांपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2877000 11510000	2877000 11510000
4	पीलीभीत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2879000 11516000	2879000 11516000
5	बांदा -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5758000 14222000	5758000 14222000
6	देवरिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5758000 15626000	5758000 15626000
7	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	32300000 34431000	32300000 34431000
8	गाजियाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4239000 9997000	4239000 9997000
	<b>योग</b>	वर्तमान प्रगामी	96790000 177182500	96790000 177182500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ सरसठ लाख नब्बे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ इकत्तर लाख बयासी हजार पाँच सौ

  
(देवेश मिश्र)  
संयुक्त सचिव